

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून
पत्रांक 523 /1-12 देहरादून दिनांक 20 सितम्बर, 2023

निस्तारण आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक 26/1-12(29), दिनांक 05.07.2023, की स्थिति पर आधारित वन आरक्षियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी थी। जारी वरिष्ठता सूची पर निम्नलिखित प्रत्यावेदन प्राप्त हुये है जिनका विवरण तथा निस्तारण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	प्रभाग/कार्यालय का नाम व पत्रांक	वन आरक्षी का नाम	प्रत्यावेदन का कारण	निस्तारण
1	2	3	4	5
1	प्र0व0अ0, टिहरी वन प्रभाग, टिहरी का पत्रांक 296/1-14, दिनांक 09.08.23	श्री लक्ष्मण सिंह सजवाण	वरिष्ठता के सम्बन्ध में।	वनादेश संख्या 60/1-14(13), दिनांक 04.04.2013 से जारी नियुक्ति आदेश के क्रम में नियुक्त सभी वन आरक्षियों की वरिष्ठता प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित कर प्रत्यावेदन का निस्तारण किया गया।
2	प्र0व0अ0, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी का पत्रांक 321/1-12(29), दिनांक 01.08.23	श्री ललित मोहन बोरा	वरिष्ठता के सम्बन्ध में।	वरिष्ठता मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 1103/एस0एस0/2014 ललित मोहन बोरा उत्तराखण्ड सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.07.2018 तथा उक्त निर्णय के विरुद्ध योजित विशेष अपील संख्या 858/2018 उत्तराखण्ड राज्यादि बनाम ललित मोहन बोरा में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय आदेश दिनांक 27.08.2020 के अनुपालन में दी गयी नियुक्ति की दिनांक से अंकित की गई है।
3	निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून के पत्रांक 352/1-12, दिनांक 05.08.23	श्री प्रदीप सिंह श्री गुलाम रसूल	दिनांक 09.04.21 तथा 23.07.2021 को नियुक्त वन आरक्षी के मध्य वरिष्ठता निर्धारित करने के सम्बन्ध में। सीधी भर्ती के कार्मिकों से पहले पदोन्नत होने के कारण वरिष्ठता पदोन्नति की तिथि से निर्धारित करने के सम्बन्ध में।	एक ही चयन वर्ष में सीधी भर्ती व पदोन्नत से भर्ती होने के कारण वरिष्ठता उत्तरांचल सरकारी ज्येष्ठता नियमावली 2002 के नियम 8(3) के अनुसार निर्धारित की गयी है। तथा पदोन्नत कार्मिकों की वरिष्ठता उनके पोषक संवर्ग की नियुक्ति की दिनांक के अनुसार निर्धारित की गयी है।
4	प्र0व0अ0, भू0सं0 वन प्रभाग, लैन्सडौन।	श्री कुलवीर सिंह	नाम संशोधित करने के सम्बन्ध में।	नाम संशोधित किया गया।
5	प्र0व0अ0, सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा का पत्रांक 295/1-12, दिनांक 27.07.23	श्रीमती दीपा मिश्रा	वरिष्ठता के सम्बन्ध में।	वरिष्ठता प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित की गई।
6	प्र0व0अ0, कालसी भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी का पत्रांक 159/1-14, दिनांक 20.07.23	श्री राजेश कुमार	वरिष्ठता के सम्बन्ध में।	दिनांक 01.07.2023 की अनन्तिम वरिष्ठता क्र.सं. 01 (श्री जमुना दत्त जोशी)/02(श्री हरीश चन्द्र भट्ट)/03(रमेश कुमार)/100(श्याम सिंह चम्याल) पर अंकित कार्मिकों की वरिष्ठता अंकतालिका के अनुसार निर्धारित की गई है।

7	प्र0व0अ0, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।	श्री बलवीर सिंह	वरिष्ठता के सम्बन्ध में।	वरिष्ठता मौलिक नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की गई है, पूर्व में अन्यत्र विभाग में की गयी सेवा के क्रम में वरिष्ठता दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।
8	निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर का पत्रांक 345/1-1, दिनांक 07.08.2023	श्री कलम सिंह, श्री अजय सिंह, श्री लक्ष्मण सिंह	वर्ष 2015 में सामयिक कर्मकार से हुयी भर्ती के साथ वरिष्ठता अंकित करने के सम्बन्ध में।	वरिष्ठता मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 1436/एस0एस0/2016 अजय सिंह रावत व अन्य बनाम उत्तराखण्ड सरकार में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.04.2017 तथा मा0 उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या 473/2017 राज्य सरकार बनाम अजय सिंह रावत व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.01.2022 के अनुपालन में उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क के पत्रांक 3727/1-1, दिनांक 01.06.2020, पत्रांक 2588/29-3(3), दिनांक 17.02.2022 एवं निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व के पत्रांक 3109/29-1, दिनांक 31.03.2022 द्वारा प्रस्तुत संस्तुति/आख्या के क्रम में इस कार्यालय द्वारा निर्गत मुखर आदेश, वनादेश संख्या 76/29-1(1), दिनांक 05.04.2022 के क्रम में दी गयी नियुक्ति की दिनांक से अंकित की गई है।
9	निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर का पत्रांक 344/1-1, दिनांक 07.08.2023	श्री दिगम्बर सिंह विष्ट	शैक्षिक योग्यता संशोधित करने के सम्बन्ध में।	शैक्षिक योग्यता संशोधित की गई।
10	प्र0व0अ0, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर का पत्रांक 858/1-12, दिनांक 06.09.2023	श्रीमती रेवती देवी	वरिष्ठता के सम्बन्ध में।	एक ही चयन वर्ष में सीधी भर्ती व पदोन्नत से भर्ती होने के कारण वरिष्ठता उत्तरांचल सरकारी ज्येष्ठता नियमावली 2002 के नियम 8(3) के अनुसार निर्धारित की गयी है। तथा पदोन्नत कर्मियों की वरिष्ठता उनके पोषक संवर्ग की नियुक्ति की दिनांक के अनुसार निर्धारित की गयी है।
11	प्र0व0अ0, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग का पत्रांक 303/1-1, दिनांक 26.07.2023	श्री हरीश लाल	वरिष्ठता में नाम अंकित करने के सम्बन्ध में।	आयोग द्वारा जारी मैरिट के क्रम में वरिष्ठता निर्धारित करते हुये नाम अंकित किया गया।
12	प्र0व0अ0, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी पत्रांक 805/1-12(29), दिनांक 29.08.2023	श्री अमित कुमार	वरिष्ठता में नाम अंकित करने के सम्बन्ध में।	दिनांक 04.06.2013 से जारी मैरिट के क्रम में वरिष्ठता निर्धारित करते हुये नाम अंकित किया गया।

अतः उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-5 के अनुसार प्रत्यावेदनों का निस्तारण किया जाता है।

20/9/23
(निशान्त वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक

T. 07. C.
अविलम्ब विभाग के।
संख्या 523 11-12 तददिनांकित।
प्रतिलिपि

- मुख्य वन संरक्षक, निगरानी मूल्यांकन आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को अविलम्ब विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- पत्र में उल्लेखित समस्त कार्यालयाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

20/9/23
(निशान्त वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक